(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाना ... को अपूरणीय क्षति होना संभावित है।

प्रकरण में प्रस्तुत साबिक राजस्व रेकार्ड अनुसार विवादित आराजी पैतृक होना ... होती है। उक्त भूमि पैतृक होने से प्रार्थी के उक्त आराजी में हक निहित प्रतीत होता ... जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहित प्रतीत होता है। इससे प्रथमदृष्टया प्रथम शर्त पुष्ट प्रतीत होती है। साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस व शपथ–पत्र के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थी के हक–हिस्से की भूमि का बेचान कर प्रार्थी को पैतृक हकों से बेदखल किये जाने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष एवं प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना प्रतीत होती है। इससे प्रथमदृष्टया द्वितीय व तृतीय शर्त पुष्ट प्रतीत होती है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत करने तक हाल आराजी **खसरा संख्या 455/0.0081 है0** 456/0.0081 है0 899/457/2.1367 है0 **कुल किता 03 कुल रकबा है0 2.1529** वांके ग्राम रामजी का फांटा एवं 102/34/0.1289 है0 3/10/0.0486 है0 3/7/6.3131 है0 34/4/0.5342 है0 5/2.6224 है0 **कुल किता 05 कुल रकबा 9.6472 है0** ग्राम रामजी का गोल की भूमि पर प्रार्थी के हक हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पांबद किया जाकर इस बाबत कोई उजरदारी हो तो हाजा न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 31.05.2024 को पेश हो।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

31/05/24 — पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के समन डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। तामील ट्रेक रिपोर्ट पेश की। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है वकील प्रार्थी के पत्रावली पर बहस सुनी। मूल वाद के निस्तारण तक इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दि० 16/04/24 पुष्ट (Confirm) की जाती है पत्रावली [illegible] वाद के साथ नत्थी हो।

नोटिस जारी डाक द्वारा 1056 21/5/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.21 18:38:49 IST
Reason: SelfAttested